उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-1 संख्या-1694/6-पु-1-15-650(59)-2002 टी0सी0

लखनकः दिनांकः 23 जुलाई, 2015

<u>अधिसूचना</u>

प्रकीर्ण

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या-5, सन् 1861) की धारा-2 के साथ पठित धारा-46 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी समस्त विद्यमान सरकारी आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक सेवा संवर्ग के सभी पदों के चयन, पदोन्नित, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता का निर्धारण और स्थायीकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्निलिखित नियमावली बनाते है:-

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग नियमावली, 2015 भाग-1 सामान्य

	<u> </u>		
संक्षिप्त नाम और	1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा		
प्रारम्भ	नियमावली, 2015 कही जायेगी।		
	(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।		
सेवा की प्रास्थिति	उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक सेवा में उत्तर प्रदेश पुलिस के		
	अनुषांगिक संवर्ग हैं और जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।		
परिभाषाएं	3- जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-		
	(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित		
	जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;		
	(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य- सहायक उप निरीक्षक के पद के लिए पुलिस अधीक्षक		
	एवं उप निरीक्षक व निरीक्षक के पद के लिए अपनी-अपनी अधिकारिता में पुलिस उप		
	महानिरीक्षक से है;		
	(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित		
	उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से है;		
	(घ) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है;		
	(ङ) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग-2 के अधीन भारत		
	का नागरिक हो या समझा जाए;		
	(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;		
	(छ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्यपाल से है;		
	(ज) "विभागाध्यक्ष" का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से है;		
	(झ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी		

व्यक्ति से है और इसके अन्तर्गत सरकारी आदेशों के अधीन पहले से नियुक्त व्या	क्ते भी
सम्मिलत होंगे;	

- (ञ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;
- (ट) "पुलिस मुख्यालय" का तात्पर्य मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ या उत्तर प्रदेस पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से है;
- (ठ) "चयन समिति" का तात्पर्य सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति से है:
- (ड) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिपिक वर्गीय सेवाओं में लिपिक संवर्ग, लेखा संवर्ग एवं गोपनीय सहायक संवर्ग से है;
- (ढ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्य पालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।
- (ण) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 मास की अविध से है;

भाग-2 संवर्ग

सेवा का संवर्ग	4- उत्तर प्रदेश पुलिस के लिपिकीय सेवाओं में निम्नलिखित संवर्ग होंगे:-	
	(1) लिपिक संवर्ग।	
	(2) लेखा संवर्ग ।	
	(3) गोपनीय सहायक संवर्ग ।	
संवर्गों का गठन	5-	
एवं संख्या	(1) नियम-4 में निर्दिष्ट संवर्गों की संख्या और उसमे	ं श्रेणियों की संख्या उतनी होगी
	जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित वी	गे जाय।
	(2) इन संवर्गो का गठन एवं संख्या निम्नवत होगी:-	
	(क) लिपिक संवर्ग	
	1. पुलिस निरीक्षक (लिपिक)	92
	2. पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक)	678
	3. पुलिस सहायक उप निरीक्षक	1560
	(लिपिक)	
	(ख)लेखा संवर्ग	
	1. पुलिस निरीक्षक (लेखा)	37
	2. पुलिस उप निरीक्षक (लेखा)	276
	3. पुलिस सहायक उप निरीक्षक	585
	(लेखा)	

(ग) गोपनीय सहायक संवर्ग

1. पुलिस निरीक्षक (गोपनीय)

247

2. पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय)

540

- (3) राज्यपाल किसी ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।
- (4) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल किसी रिक्त पद को प्रास्थिगत रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

भाग-3 भर्ती

भर्ती का स्त्रोत

6- (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों क पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगी:-

(क) <u>लिपिक संवर्ग</u>

पुलिस निरीक्षक (लिपिक)- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) में से अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नित द्वारा।

पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक)- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) में से अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नित द्वारा।

पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक)- (क) अस्सी प्रतिशत पदों को नियम-17 में विहित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

टिप्पणी- सेवाकाल में पुलिस विभाग के मृतक कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) के पद पर मृतक आश्रित के रूप में प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, राज्य सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के ऐसे पद, प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती द्वारा पूर्व स्वीकृत पदों के सापेक्ष उत्पन्न हुई रिक्तियों के कारण भरे जाने वाले पदों के 05 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

- (ख) बीस प्रतिशत पदों को मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों में से पिरिशिष्ट में विहित प्रक्रिया के अनुसार विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नित द्वारा, जिन्होंने:-
- (एक) भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो;
- (दो) भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को 50 वर्ष से अधिक आयु पूरी न की हो;
- (तीन) भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को सीधी भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट अन्य समस्त अर्हता रखता हो;

परन्तुक यह कि यदि समूह 'घ' के कर्मचारियों में से उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं

हो पाते हैं तो इन रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

(* अधिसूचना संख्याः 17/2016/2791/6-पु-1-16-650(59)/2002टीसी, दिनांक 19.10.2016 द्वारा संशोधित)

(ख) लेखा संवर्ग-

पुलिस निरीक्षक (लेखा)- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नित द्वारा।

पुलिस उप निरीक्षक (लेखा)- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा)- शत प्रतिशत पदों को नियम-17 में विहित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

टिप्पणी- सेवाकाल में पुलिस विभाग के मृतक कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के पद पर मृतक आश्रित के रूप में प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, राज्य सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के ऐसे पद, प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती द्वारा पूर्व स्वीकृत पदों के सापेक्ष उत्पन्न हुई रिक्तियों के कारण भरे जाने वाले पदों के 05 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(ग) गोपनीय सहायक संवर्ग-

पुलिस निरीक्षक (गोपनीय)- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नित द्वारा।

पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय)- शत प्रतिशत पदों को नियम-17 में विहित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पणी- सेवाकाल में पुलिस विभाग के मृतक कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर मृतक आश्रित के रूप में प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, राज्य सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) के ऐसे पद, प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती द्वारा पूर्व स्वीकृत पदों के सापेक्ष उत्पन्न हुई रिक्तियों के कारण भरे जाने वाले पदों के 05 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

आरक्षण

7- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (महिला अभ्यर्थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, खिलाड़ी एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार और बोर्ड द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना के समय

प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। राष्ट्रीय और राज्य स्तर खिलाड़ियों का आरक्षण बोर्ड द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति इस नियमावली के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।

संक्रमणकालीन प्रावधान

8- (1) आरक्षी (लिपिक) या सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) के पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति जो वर्तमान में लिपिक शाखा या लेखा शाखा में शासनादेश संख्याः 4907/VIII/650(4)/75 दिनांकः 09 फरवरी, 1976 एवं पुलिस मुख्यालय के अर्द्धशासकीय परिपत्र संख्याः 18-115-76, दिनांक 25 अक्टूबर, 1977 में वर्णित पूर्व के किन्हीं पाँच संवर्ग में शासनादेश संख्याः 7252/VIII-क-94/66 दिनांकः 06 सितम्बर, 1966 में वर्णित किसी भी पद को धारण कर रहा हो, को इस नियमावली के गजट में प्रकासन की तिथि से नव निर्मित लिपिक संवर्ग अथवा लेखा संवर्ग में क्रमशः सिम्मिलत समझा जायेगा।

परन्तु यह कि कोई कर्मी जो नवसृजित लिपिक संवर्ग अथवा लेखा संवर्ग में सिम्मिलित माना गया है, यदि उसे नवसृजित संवर्ग आवंटन के संबंध में कोई शिकायत है तो इस नियमावली के गजट में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपने संवर्ग के परिवर्तन के लिए प्रत्यावेदन विभागाध्यक्ष को दे सकता है। विभागाध्यक्ष लिपिक संवर्ग एवं लेखा संवर्ग के ऐसे सभी किमयों की जिन्होंने निर्धारित समय में अन्य संवर्ग में जाने के संबंध में अपना प्रत्यावेदन दिया है उनकी पदवार प्रत्येक पद की ज्येष्ठता सूची तैयार करेंगे और ज्येष्ठता के अनुसार अधिक से अधिक किमयों का यथासम्भव समायोजन इस शर्त के साथ करेगें कि प्रत्यावेदन निस्तारण के पश्चात प्रत्येक संवर्ग में प्रत्येक पद पर किमयों की उपलब्धता समानुपातिक रूप से दोनों संवर्गों में बनी रहे।

(2) शासनादेश संख्याः 7252/VIII-क-94/66 दिनांकः 06 सितम्बर, 1966 में वर्णित केवल उप निरीक्षक (लिपिक)/आशुलिपिक के पद पर नियुक्त तथा शासनादेश संख्याः 4907/VIII/650(4)/75 दिनांकः 09 फरवरी, 1976 के अनुसार पाँच संवर्गों में कार्यरत कर्मी इस नियमावली के अधीन गोपनीय सहायक संवर्ग में गठित किये जायेंगे।

भाग-4 अर्हताएं

राष्ट्रीयता

- 9- सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-
 - (क) भारत का नागरिक हो, या
 - (ख)तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या
 - (ग) भारतीय उदभव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा (म्यांनमार), श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, उगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तंजनिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु यह कि श्रेणी (ख) व (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें:-

परन्तु अग्रतर यह कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें:-

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अविध के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अविध के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों का चयन के बाद नियुक्ति तभी की जायेगी जब अपेक्षित प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता

10- **(1)** पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक)

- (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता;
- (ख) कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गित से हिन्दी टंकण तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गित से अंग्रेजी टंकण (इनस्क्रिप्ट की बोर्ड का प्रयोग करते हुए यूनिकोड आधारित या विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित किया जाये);
- (ग) भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नीलिट सोसाइटी) (पूर्व में डोयक सोसाइटी) से कम्प्यूटर में 'ओ' लेवेल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अईता धारित करना आवश्यक है।

(2) पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा)

- (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखाशास्त्र में परास्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता;
- (ख) कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण (इनस्क्रिप्ट की बोर्ड का प्रयोग करते हुए यूनिकोड आधारित या विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित किया जाये);
- (ग) भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नीलिट सोसाइटी) (पूर्व में डोयक सोसाइटी) से कम्प्यूटर में 'ओ' लेवेल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है।

(3) पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय)

- (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता;
- (ख) कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण तथा कम से कम 30 शब्द

प्रति मिनट की गित से अंग्रेजी टंकण (इनस्क्रिप्ट की बोर्ड का प्रयोग करते हुए यूनिकोड आधारित या विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित किया जाये); ; (ग) न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गित से हिन्दी आशुलिपि श्रुतलेख। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नित बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा; (घ) भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नीलिट सोसाइटी) (पूर्व में डोयक सोसाइटी) से कम्प्यूटर में 'ओ' लेवेल की परीक्षा उत्तीर्ण करना या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है। (***अधिसूचना संख्याः 01/2020/634(1)/6-पु-1-20-650(59)/2002टीसी-VI, दिनांक 15.04.2020 द्वारा संशोधित)
(ग) न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गित से हिन्दी आंशुलिपि श्रुतलेख। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नित बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा; (घ) भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नीलिट सोसाइटी) (पूर्व में डोयक सोसाइटी) से कम्प्यूटर में 'ओ' लेवेल की परीक्षा उत्तीर्ण करना या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है। (***अधिसूचना संख्याः 01/2020/634(1)/6-पु-1-20-650(59)/2002टीसी-VI, दिनांक
भर्ती एवं प्रोन्नित बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा; (घ) भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नीलिट सोसाइटी) (पूर्व में डोयक सोसाइटी) से कम्प्यूटर में 'ओ' लेवेल की परीक्षा उत्तीर्ण करना या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है। (***अधिसूचना संख्याः 01/2020/634(1)/6-पु-1-20-650(59)/2002टीसी-VI, दिनांक
किया जायेगा; (घ) भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नीलिट सोसाइटी) (पूर्व में डोयक सोसाइटी) से कम्प्यूटर में 'ओ' लेवेल की परीक्षा उत्तीर्ण करना या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है। (***अधिसूचना संख्याः 01/2020/634(1)/6-पु-1-20-650(59)/2002टीसी-VI, दिनांक
(घ) भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नीलिट सोसाइटी) (पूर्व में डोयक सोसाइटी) से कम्प्यूटर में 'ओ' लेवेल की परीक्षा उत्तीर्ण करना या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है। (***अधिसूचना संख्याः 01/2020/634(1)/6-पु-1-20-650(59)/2002टीसी-VI, दिनांक
सोसाइटी) (पूर्व में डोयक सोसाइटी) से कम्प्यूटर में 'ओ' लेवेल की परीक्षा उत्तीर्ण करना या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है। (***अधिसूचना संख्याः 01/2020/634(1)/6-पु-1-20-650(59)/2002टीसी-VI, दिनांक
सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है। (***अधिसूचना संख्याः 01/2020/634(1)/6-पु-1-20-650(59)/2002टीसी-VI, दिनांक
(***अधिसूचना संख्याः 01/2020/634(1)/6-पु-1-20-650(59)/2002टीसी-VI, दिनांक
15 04 2020 ਫ਼ਾਂਦਾ संशोधित)
•
अधिमानी अर्हता 11- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:-
(1) डोएक/नाइलिट सोसायटी से उच्च प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर
एप्लीकेशन / प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उससे उच्च अर्हता प्राप्त किया हो;
(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या महाविद्यालय या
विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक किया हो,
(3) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो;
(4) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।
(* अधिसूचना संख्याः 17/2016/2791/6-पु-1-16-650(59)-2002टी 0 सी 0 , दिनांक
19.10.2016 द्वारा संशोधित)
आयु 12- सभी पदों में सीधी भर्ती के लिये जिस कैलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियां प्रकाशित
की जाए, उसकी जुलाई के प्रथम दिन अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28
वर्ष की आयु पूर्ण न की हो;
परन्तु यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के
अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी राज्य सरकार
द्वारा समय – समय पर विनिर्दिष्ट की जाये।
चरित्र 13- किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी
सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध
में अपना समाधान कर लेंगे।
टिप्पणी:- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या
संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या
निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक
अद्यमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
वैवाहिक प्रास्थिति 14- ऐसा/ऐसी व्यक्तिः-
(क) जिसने किसी ऐसे/ऐसी व्यक्ति से विवाह किया हो/ की हो, जिसका/ जिसकी पहले से
जीवित पति/पत्नी हो; या
(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो की हो,

सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी; परन्तु राज्य सरकार का यदि इस बात का समाधान हो जाय कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिये लागू वैयक्तिक विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है। (** अधिसूचना संख्याः 10/2018/2783/6-पू-1-18-650(59)-2002टीसी-VI, दिनांक 02.07.2018 द्वारा संशोधित) 15- किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि शारीरिक मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक स्वस्थता दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाये। टिप्पणी:- चिकित्सा बोर्ड नाक- नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि कलर ब्लाइंडनेस(पार्सियल एवं टोटल), श्रवण परीक्षण, जैसी किमयों इत्यादि का भी परीक्षण करेगा।

भाग-5 भर्ती हेत् प्रक्रिया

रिक्तियों का	16- नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और		
अवधारण	नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के		
	अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना		
	विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष, रिक्तियों की संख्या, बोर्ड एवं सरकार को भी सूचित		
	करेगा। तत्पश्चात, बोर्ड निम्नलिखित रीति से रिक्तियाँ अधिसूचित करेगाः-		
	(1) व्यापक प्रसार वाले दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके;		
	(2) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य		
	रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा;		
	(3) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके; और		
	(4) जन संचार के अन्य माध्यमों द्वारा।		
	(** अधिसूचना संख्याः 10/2018/2783/6-पु-1-18-650(59)-2002टीसी-VI, दिनांक		
	02.07.2018 द्वारा संशोधित)		
आरक्षियों के पद	17-		
पर सीधी भर्ती की	(क) आवेदन पत्र एवं बुलावा पत्र		
प्रक्रिया	कोई अभ्यर्थी केवल एक आवेदन पत्र भरेगा। बोर्ड, केवल आनलाईन आवेदन पत्र		
	स्वीकार करेगा। विभागाध्यक्ष, बोर्ड से परामर्श करके किसी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क		
	नियत करेगा। आवेदन पत्र भरे जाने एवं बुलावा पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत		

प्रक्रिया, बोर्ड द्वारा अवधारित किया जायेगा एवं इसे वेबसाइट पर प्रदर्शित अथवा अधिसूचना में प्रकाशित किया जायेगा।

सरकार प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी क्रम पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है।

(ख) लिखित परीक्षा

ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके आवेदन सही पाये जायेंगे, से 400 अंकों की लिखित परीक्षा में सिम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। इस लिखित परीक्षा में, बोर्ड निम्निलिखित चार विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगाः-

विषय	अधिकतम अंक
1. सामान्य हिन्दी/कम्प्यूटर ज्ञान	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
2. सामान्य जानकारी/सामयिक विषय	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
3. संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
परीक्षा	
4. मानसिक अभिरुचि परीक्षा/	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
बुद्धिलब्धि परीक्षा / तार्किक परीक्षा	

लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35 प्रतिशत अंक और कुल 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम का विनिश्चय, बोर्ड द्वारा किया जायेगा और उसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। बोर्ड कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा (ओएमआर प्रणाली) के माध्यम से अथवा कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों में, विभिन्न प्रश्नपत्र के साथ विभिन्न पालियों में संचालित करने के लिए अपने स्तर पर विनिश्चय करेगा।

टिप्पणी:-

- 1. लिखित परीक्षा के लिये विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे उसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगी।
- 2. यदि बोर्ड एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को, विभिन्न प्रश्नपत्रों के साथ विभिन्न पालियों में लिखित परीक्षा संचालित करने के लिए विनिश्चय करेगा तो बोर्ड, यदि आवश्यक हो, अपने स्तर पर ऐसी परीक्षा में सिम्मिलत होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण प्रक्रिया का विनिश्चय कर सकता है और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा।

(*** अधिसूचना संख्याः 01/2020/634(1)/6-पु-1-20-650(59)/2002टीसी-VI, दिनांक 15.04.2020 द्वारा संशोधित)

(ग) अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा

खण्ड (ख) के अधीन लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सिम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। रिक्तियों की कुल संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड, श्रेष्ठता के आधार पर इस परीक्षा के लिये बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को अपने स्तर पर विनिश्चित करेगा। अभ्यर्थियों हेतु शारीरिक मापदण्ड निम्नलिखित है:-

(1) पुरुष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:

(क) ऊँचाई:-

- 1) सामान्य / अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 163 सेन्टीमीटर है।
- 2) अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 156 सेन्टीमीटर है। (ख) सीना:-

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये 75 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 80 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा।

टिप्पणी:- न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

(2) महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-

(क) - ऊँचाई:-

(एक) सामान्य / अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 150 सेन्टीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजातियों के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 145 सेन्टीमीटर है।

(ख) वजनः

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम।

इस परीक्षा को संचालित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई डिप्टी कलक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा। अपेक्षानुसार बोर्ड के अनुरोध पर समिति के शेष सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

इस परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या अधिसूचना में प्रकाशित की जायेगी।

कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से संतुष्ट न हो, परीक्षा के पश्चात उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसी समस्त आपत्तियों के समाशोधन के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामनिर्दिष्ट किया जायेगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जायेगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जाते है, को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में अग्रतर कोई अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

(घ) कम्प्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा

भाग (ग) के अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थी से अर्हकारी प्रकृति की कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सिम्मिलत होने की अपेक्षा की जायेगी। कम्प्यूटर टंकण की अर्हकारी गित अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद के अनुसार होगी। अभ्यर्थी को हिन्दी टंकण परीक्षा में सिम्मिलत होने की अपेक्षा की जायेगी। केवल वही अभ्यर्थी, जिनके द्वारा पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद हेतु आवेदन किया गया है और उपरोक्तानुसार कम्प्यूटर टंकण में उत्तीर्ण होते हैं आशुलिपिक परीक्षा में सिम्मिलत होगें, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। परीक्षा हेतु प्रक्रिया को बोर्ड द्वारा विनिश्चित कर अपनी बेवसाइट पर प्रदर्शित अथवा विज्ञित में प्रकाशित किया जाएगा।

(ङ) चयन तथा अन्तिम योग्यता सूची-

ऐसे अभ्यर्थियों में से जिन्होंने कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की है और ऐसे अभ्यर्थियों में से जिन्होंने उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद हेतु आवेदन किया है और आशुलिपिक परीक्षा भी उत्तीर्ण की हो उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंको के आधार पर, प्रत्येक पद के लिये आरक्षण नीति के दृष्टिगत, बोर्ड रिक्तियों के अनुसार के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षण चिरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों सहित ऐसे समस्त अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। विभागाध्यक्ष, बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची को अनुमोदनोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।

टिप्पणी:- यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो उनकी ज्येष्ठता का विनिश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा:-

- (1) यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो, ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान की जायेगी जो अधिमानी अर्हता (नियम-11 में कथित क्रम के अनुसार), यदि कोई हो, रखते हों। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।
- (2) भले ही यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान की जायेगी।
- (3) यदि उपरिलिखित के बावजूद भी, एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो, तो ऐसे

अभ्यर्थियों की अधिमान, उनके हाईस्कूल प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित उनके नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, निर्धारित की जायेगी।

(च) चिकित्सा परीक्षण

ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके नाम खण्ड (ड.) के अनुसार चयन सूची में हों नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा हेतु सम्मिलत होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा के संचालन हेतु सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परिषद का गठन किया जायेगा जिसमें 03 चिकित्सक रखे जायेंगे जो महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित और कोड किये गये "पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र" के अनुसार अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षा करेगा। कोई अभ्यर्थी अपनी चिकित्सा परीक्षा से असंतुष्ट हो, वह स्वयं परीक्षा के दिन ही अपील फाइल कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी स्वयं अपने चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिनांक पर अपील करने में असफल रहता है तो चिकित्सा परीक्षा से सम्बन्धित किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा। अपील हेतु गठित चिकित्सा परिषद में सम्बन्धित आवेदक के चिकित्सा दोष का विशेषज्ञ होगा। चिकित्सा परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत अनुदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किये जायेंगे। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा।

(छ) चरित्र सत्यापन

नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व और अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिये भेजे जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, चिरत्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चिरत्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

(* अधिसूचना संख्याः 17/2016/2791/6-पु-1-16-650(59)/2002टीसी, दिनांक 19.10.2016 द्वारा संशोधित)

पदोन्नति द्वारा भर्ती हेतु प्रक्रिया

<u> 18-</u>

- (1) सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) से उप निरीक्षक (लिपिक)- उप निरीक्षक (लिपिक) के स्वीकृत शत् प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नित से बोर्ड द्वारा ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त सहायक उप निरीक्षकों (लिपिक) में से की जायेगी, जो परिवीक्षा अविध को सिम्मिलित करते हुए भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।
- (2) उप निरीक्षक (लिपिक) से निरीक्षक (लिपिक)- निरीक्षक (लिपिक) के स्वीकृत शत् प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नित से बोर्ड द्वारा ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त उप निरीक्षकों (लिपिक) में से की जायेगी, जो परिवीक्षा अविध को सिम्मिलित करते हुए भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।
- (3) सहायक उप निरीक्षक (लेखा) से उप निरीक्षक (लेखा)- उप निरीक्षक (लेखा) के स्वीकृत

- शत् प्रतिशत पद अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नित से बोर्ड द्वारा ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त सहायक उप निरीक्षकों (लेखा) में से की जायेगी, जो परिवीक्षा अविध को सम्मिलित करते हुए भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।
- (4) उप निरीक्षक (लेखा) से निरीक्षक (लेखा)- निरीक्षक (लेखा) के स्वीकृत शत् प्रतिशत पद अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नित से बोर्ड द्वारा ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त उप निरीक्षकों (लेखा) में से की जायेगी, जो परिवीक्षा अविध को सिम्मिलित करते हुए भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।
- (5) उप निरीक्षक (गोपनीय) से निरीक्षक (गोपनीय)- निरीक्षक (गोपनीय) के स्वीकृत शत् प्रतिशत पद अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नित से बोर्ड द्वारा ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त उप निरीक्षकों (गोपनीय) में से की जायेगी, जो परिवीक्षा अविध को सिम्मिलित करते हुए भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।
- (6) (क) उप निरीक्षक (लिपिक), उप निरीक्षक (लेखा), निरीक्षक (लिपिक), निरीक्षक (लेखा) एवं निरीक्षक (गोपनीय) के पदों के लिए चयन समिति बोर्ड द्वारा गठित की जायेगी।
- (ख) समिति का अध्यक्ष बोर्ड द्वारा नामित होगा तथा जिस पद पर प्रोन्नित के लिये चयन समिति गठित हुई है उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी से किनष्ठ नहीं होगा। उपयुक्त पद का एक सदस्य विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा और समिति के शेष सदस्य विद्यमान शासनादेशों के अनुसार बोर्ड द्वारा नामित किये जायेगें।
- (ग) चयन समिति सफल अभ्यर्थियों का परीक्षाफल अपनी संस्तुति सिहत बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। बोर्ड चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सिहत विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। सूची विज्ञापित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी।
- (घ) विभागाध्यक्ष अनुमोदन के उपरान्त सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे जो प्रोन्नित हेतु अंतिम आदेश निर्गत करेगा।
- (इ) प्रोन्नित हेतु चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जैसे विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित हो, बोर्ड और उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट (website) पर प्रदर्शित की जायेगी।

भाग-6 नियुक्ति, परिवीक्षा, प्रशिक्षण, स्थाईकरण तथा वरिष्ठता

नियुक्ति

19-

- (1) चरित्र सन्तोषजनक पाये जाने पर बोर्ड द्वारा अग्रसारित श्रेष्ठता सूची में अभ्यर्थियों को सूची में अपने नामों के क्रम में नियुक्त किया जायेगा।
- (2) बोर्ड द्वारा नियम-18 के अन्तर्गत पदोन्नित के द्वारा नियुक्ति हेतु अनुसंशित व्यक्तियों को फीडर रैंक में उनकी ज्येष्ठता के क्रम में पदोन्नित किया जायेगा,

परन्तु यह कि पूर्ववर्ती चयन में पदोन्नत व्यक्ति पश्चातवर्ती चयन में पदोन्नत व्यक्ति से ज्येष्ठ होगा:

	परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति जो इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व शासनादेश संख्याः 4907/आठ/650(4)/75 दिनांकः 09 फरवरी 1976 में वर्णित पाँच संवर्गो में, शासनादेश संख्याः 7552/आठ-क-04/66 दिनांकः 06 सितम्बर 1966 में वर्णित पद पर अथवा शासनादेश संख्याः 1447/6-पु-1-14- 650(59)/02टीसी दिनांक 10 अक्टूबर 2014 में वर्णित पद पर इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से कार्यरत् हों को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति इस नियमावली के अधीन की गयी समझी जायेगी।
परिवीक्षा	(1) इस नियमावली के अधीन किसी भी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किए गए सेवा के किसी सदस्य की परिवीक्षा के मामलों के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के उपबन्धों द्वारा शासित होंगे। (2) यदि परिवीक्षा अविध या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अविध के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग संतोषप्रद रूप से करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। (3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। (4) नियुक्ति प्राधिकारी, सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अविध की संगणना के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमित दे सकता है। (* अधिसूचना संख्याः 17/2016/2791/6-पु-1-16-650(59)/2002टीसी, दिनांक 19.10.2016 द्वारा संशोधित)
प्रशिक्षण	21- (1) संवर्ग में उल्लिखित किसी पद पर सीधी भर्ती या पदोन्नित द्वारा नियुक्त व्यक्ति को ऐसे संस्थान में ऐसी रीति से ऐसे प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी जैसा विभागाध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाय। (2) विभागाध्यक्ष सेवा के सदस्यों के लिए पदोन्नित या सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
स्थायीकरण	अवधारित कर सकता है। 22- (1) नियम 20 के उप नियम (1) एवं (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियम-17 के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति को परिवीक्षा अविध या बढाई गयी परिवीक्षा अविध के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा, यदिः- (क) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो, (ख) उसका कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक बताया जाय, और (ग) उसकी सत्यिनष्ठा प्रमाणित कर दी जाय। (2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के

	उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के
	उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुये आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा
	अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर लीहै, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।
ज्येष्ठता	23- सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय समय पर यथा
	संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार इस प्रतिबन्ध
	के साथ अवधारित की जायेगी, कि किसी पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति
	पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से ज्येष्ठ होगा।

भाग-7 वेतन इत्यादि

	<u>भाग-/ वेतन इत्यादि</u>		
वेतनमान	24- वेतनमान		
	(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा		
	जैसा सरकार द्वारा समय - समय पर अवधारित किया जाय।		
	(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय विभिन्न श्रेणियों के अनुमन्य वेतनमान निम्नवत् है:-		
	पद	पे बैण्ड	ग्रेड पे
	(क) लिपिक वर्गीय संवर्ग		
	(1) पुलिस निरीक्षक (लिपिक)	9300-34800	4600
	(2) पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक)	9300-34800	4200
	(3) पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक)	5200-20200	2800
	(ख)लेखा संवर्ग		
	(1) पुलिस निरीक्षक (लेखा)	9300-34800	4600
	(2) पुलिस उप निरीक्षक (लेखा)	9300-34800	4200
	(3) पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा)	5200-20200	2800
	(ग) गोपनीय सहायक संवर्ग		
	(1) पुलिस निरीक्षक (गोपनीय)	9300-34800	4600
	(2) पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय)	9300-34800	4200
परिवीक्षा अवधि में	25- (1) फन्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उप	बन्ध के होते हुये भी, प	रिवीक्षाधीन व्यक्ति
वेतन	को, यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में न हो,	समयमान में उसकी प्रथ	ग्म वेतनबृद्धि तभ <u>ी</u>
	दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेव	ा पूरी कर ली हो, विभाग	ीय परीक्षा उत्तीर्ण
	कर ली हो और प्रशिक्षण जहाँ विहित हो, पूरा कर लिया हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की		
	सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी		
	भी कर दिया गया हो;		
	परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी को संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा		
	अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की		
	जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।		
	(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा		

	अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।	
	परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो	
	इस प्रकार बढ़ायी गयी अविध की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि	
	नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।	
	(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हों, परिवीक्षा अवधि में वेतन	
	राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत	
	नियमों द्वारा विनियमित होगा।	
अन्य विषयों का	26- ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली के अन्तर्गत न आते हों,	
विनियमन	सेवा में नियुक्त व्यक्ति पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये विभिन्न नियमों, विनियमों	
	और आदेशों के अनुसार शासित होंगे।	
सेवा की शर्तों में	27- जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की	
शिथिलता	शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक	
	कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामलें में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुये भी, आदेश	
	द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें	
	वह मामलें में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे,	
	अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।	
व्यावृत्ति	28- इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतें पर नहीं	
	पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशो के	
	अनुसार अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियो के	
	लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।	

परिशिष्ट चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों हेतु विभागीय परीक्षा की प्रक्रिया (नियम - 6(1)(ख) देंखें)

- 1. समस्त श्रेणी 'घ' के पात्र कर्मियों को (नियम-10 के साथ पठित नियम-6) टंकण परीक्षा देने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी।
- 2. टंकण परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों से 100 अंको की लिखित परीक्षा देने की अपेक्षा की जायेगी। लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होगें। विभागाध्यक्ष के परामर्श से लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जायेगा और रिक्तियों की अधिसूचना के साथ अधिसूचित किया जायेगा। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक के आधार पर योग्यता सूची (merit list) बनायी जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी एक समान अंक प्राप्त करते है तो उन अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो सेवा में ज्येष्ठ हो, आयु में ज्येष्ठ हो तथा फिर हाईस्कूल के प्रमाण पत्र में अग्रेजी वर्णमाला में यथा उल्लिखित प्रथम नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर।

- 3. बोर्ड द्वारा अधिसूचित कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये योग्यता (merit) के अनुसार बोर्ड अभ्यर्थियों की एक चयन सूची तैयार करेगा। बोर्ड, चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति के साथ विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।
- 4. विभागाध्यक्ष, सूची को अनुमोदित करेगा और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा जो पदोन्नित हेतु अंतिम आदेश निर्गत करेगा।
- 5. पदोन्नित हेतु, चयनित अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची, विभागाध्यक्ष द्वारा यथा अनुमोदित बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(* अधिसूचना संख्याः 17/2016/2791/6-पु-1-16-650(59)/2002टीसी, दिनांक 19.10.2016 द्वारा संशोधित)

देबाशीष पण्डा प्रमुख सचिव, गृह

नोटः-

- (1) * अधिसूचना संख्याः 17/2016/2791/6-पु-1-16-650(59)/2002टीसी, दिनांक 19.10.2016 द्वारा संशोधित (उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा (प्रथम संशोधन) निमयावली, 2016)
- (2) ** अधिसूचना संख्याः 10/2018/2783/6-पु-1-18-650(59)-2002टीसी-VI, दिनांक 02.07.2018 द्वारा संशोधित (उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा (द्वितीय संशोधन) निमयावली, 2018)
- (3) *** अधिसूचना संख्याः 01/2020/634(1)/6-पु-1-20-650(59)/2002टीसी-VI, दिनांक 15.04.2020 द्वारा संशोधित (उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा (तृतीय संशोधन) निमयावली, 2020)

Uttar Pradesh Shasan Grih (Police) Anubhag-1

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1694 /6-pu-01-15-650(59)/02 TC, Dated: 23 July 2015:

NOTIFICATION

No. 1694/6-pu-01-15-650(59)02 TC

Dated. Lucknow, July 23, 2015

In exercise of the powers under sub-sections (2) of section 46 read with section-2 of the Police Act, 1861(Act No. 5 of 1861) and all other powers enabling him in this behalf and in supersession of all existing Government orders issued in this behalf, the Governor is pleased to make the following rules with a view to regulating the selection, promotion, training, appointment, determination of seniority and confirmation etc. of all the ranks of Ministerial, Accounts and Confidential Assistants Service Cadres in Uttar Pradesh Police Force.

THE UTTAR PRADESH POLICE MINISTERIAL, ACCOUNTS AND CONFIDENTIAL ASSISTANT CADRES SERVICE RULES 2015

PART- I: GENERAL

Short title and		
Status of Service	2- The Uttar Pradesh Police Ministerial, Accounts and Confidential Assistants services are ancillary cadres to the Uttar Pradesh Police and comprise posts in group "C".	

Definitions

- 3- In these rules unless there is anything repugnant to the subject or context:-
- (a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994,
- (b) "Appointing Authority" means the Superintendent of Police for the rank of Assistant Sub Inspector, Deputy Inspector General of Police for the rank of Sub Inspector and Inspector in their respective jurisdiction.
- (c). "Board" means the Uttar Pradesh Police Services Recruitment and Promotion Board, established in accordance with Government orders issued from time to time in this regard.
- (d) "Constitution" means the Constitution of India;
- (e)"Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part-II of the Constitution;
- (f) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;
- (g) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;
- (h) "Head of Department" means the Director General of Police Uttar Pradesh;
- (i) "Members of the Service" means a person substantively appointed under these rules and shall include the persons already appointed under Government Orders.
- (j) "Other Backward Classes" of citizens means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time.
- (k) "Police Headquarters" means the Headquarters of the Director General of Police, Uttar Pradesh at Lucknow or Uttar Pradesh Police Headquarters at Allahabad.
- (l) "Selection Committee" means a selection committee constituted by the Board for the selection of candidates for appointment to the post of service;
- (m) "Service" means the Ministerial, Accounts and Confidential Assistant Cadre of the Ministerial Services of the Uttar Pradesh Police Force;
- (n) "Substantive Appointment" means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government.
- (o) "Year of Recruitment" means period of 12 months starting from first July of each calendar year;

Part-II Cadres

Cadres of Service

- **4-** There shall be following cadres in the ministerial services of Uttar Pradesh Police:
 - 1. Ministerial Cadre.
 - 2. Accounts Cadre.

	3. Confidential Assistant Cadre.		
Composition and strength of	5- (1) The strength of the cadres referred to in rule-4 and the such as may be determined by the Government from time to ti (2) The composition and strength of cadres shall be as follows:	me.	
cadres	(a) Ministerial Cadre	92	
	 Inspector of Police (Ministerial)- Sub-Inspector of Police (Ministerial) 	92 678	
	3. Assistant Sub Inspector of Police (Ministerial)	1560	
	(b) Accounts Cadre		
	1. Inspector of Police (Accounts)	37	
	2. Sub-Inspector of Police (Accounts)	276	
	3. Assistant Sub Inspector of Police (Accounts)	585	
	(c) Confidential Assistant Cadre		
	1. Inspector of Police (Confidential)-	247	
	2. Sub-Inspector of Police (Confidential)-	540	
	(3) The Governor may create any such additional permanent or temporary posts as he may consider proper		
	post unfilled or the ch no person shall be		
	Part- III Recruitment		
Source of Recruitm- ent	6- (1) Recruitment to the posts of various ranks shall be sources;	made from following	
CIII	(A) Ministerial Cadre		
Inspector of Police (Ministerial)- By promotion from amongst appointed Sub-Inspectors of Police (Ministerial) on the basis of seniori rejection of unfit.			
	Sub-Inspector of Police (Ministerial)-By promotion from a appointed Assistant Sub-Inspectors of Police (Ministerial) on subject to rejection of unfit.		
Assistant Sub-Inspector of Police (Ministerial)-(a) Eighty per			

recruitment through the Board as per procedure prescribed in rule-17.

Note:- (1) Dependants of personnel of police department deceased during service who apply for the post of Assistant Sub-Inspector of Police (Ministerial) in the

dependant of deceased category shall be recruited by the Board as per the policy decided by the Government. Restriction being that every year such posts shall not be more than 5 percent of the posts to be filled by direct recruitment as against the vacancies arising in the previously sanctioned posts of Assistant Sub-Inspector of Police (Ministerial).

- (2) Twenty percent through promotion by the Board on the basis of departmental examination as per procedure prescribed in **Appendix** from amongst substantively appointed Group 'D' employees who have;
- (i) completed seven years of service as such on the first day of the year of recruitment;
- (ii) attained the age of not more than 50 years on the first day of the year of recruitment:
- (iii) possess all other qualifications as specified for direct recruitment on the first day of the year of recruitment;

Provided that if suitable candidates from Group 'D' employees are not found then their unfilled vacancies shall be filled up by direct recruitment.

(* Amended by notification no. 17/2016/2791/6-pu-01-16-650(59)-2002 TC, dated: 19.10.2016)

(B) Accounts Cadre

Inspector of Police (Accounts)- By promotion from amongst substantively appointed Sub-Inspectors of Police (Accounts) on the basis of seniority subject to rejection of unfit.

Sub-Inspector of Police (Accounts)- By promotion from amongst substantively appointed Assistant Sub-Inspectors of Police (Accounts) on the basis of seniority subject to rejection of unfit.

Assistant Sub-Inspector of Police (Accounts)-Hundred percent by direct recruitment through the Board as per procedure prescribed in rule-17.

Note:- Dependants of personnel of police department deceased during service who apply for the post of Assistant Sub-Inspector of Police (Accounts) in the dependant of deceased category shall be recruited by the Board as per the policy decided by the Government. Restriction being that every year such posts shall not be more than 5 percent of the posts to be filled by direct recruitment as against the vacancies arising in the previously sanctioned posts of Assistant Sub-Inspector of Police (Accounts).

(C) Confidential Assistant Cadre

Inspector of Police (Confidential)- By promotion from amongst substantively appointed Sub-Inspectors of Police (**Confidential**) on the basis of seniority subject to rejection of unfit.

Sub-Inspector of Police (Confidential)-Hundred percent by direct recruitment through the Board as per procedure prescribed in rule-17.

Note:- Dependants of personnel of police department deceased during service who apply for the post of Sub-Inspector of Police (Confidential) in the dependant of deceased category shall be recruited by the Board as per the policy decided by the Government. Restriction being that every year such posts shall not be more than 5 percent of the posts to be filled by direct recruitment as against the vacancies arising in the previously sanctioned posts of Sub-Inspector of Police (Confidential).

Reservat-

7- Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Categories shall be in accordance with the Act and the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Women Candidate, Dependents of Freedom Fighters, Sportsman and Ex- Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the notification of vacancies by the Board. The reservation of the National or State level sportsmen shall be in accordance with the Government orders in force at the time of the notification of vacancies by the Board.

Physically Handicapped persons shall not be eligible for appointment to posts under these rules

Transition -al provisions

8. (1) A person appointed as Constable (Ministerial) or Assistant Sub Inspector (Ministerial) and presently holding any post in the ministerial branch or Accounts Branch in any of the ranks described in the G.O. No-7252/VIII-A-94/66 dated September 06, 1966 in any of the five erstwhile cadres as described in G.O. No-4907/VIII/650(4)/75 dated February 09, 1976 and Police Head Quarter circular D.O. letter No-18-115-76 dated October 25, 1977 shall be deemed to have joined the newly created Ministerial Cadre or Accounts Cadre respectively from the date of publication of these rules in the Gazette.

Provided that if any person, who has been deemed to have joined the newly created Ministerial or Accounts cadre, has any grievance about the allotment to the newly created cadres may represent to the Head of Department for the change of his cadre within 30 days from the date of publication of these rules in the Gazette. The Head of Department shall make a seniority wise list of each rank in Ministerial and Accounts cadres of all such persons, who have submitted their representations about shifting to the other cadre within the stipulated time, and shall try to adjust according to seniority as many persons as possible with the restriction that the number of persons in each rank so shifted shall be such that the availability of persons in each rank in either of the cadres after disposal of the representations shall be proportionate in both cadres.

(2) Only persons appointed as Sub Inspector(Ministerial)/Stenographers as described in G.O. No-7252/VIII-A-94/66 dated-September 06, 1966 and currently in service in the five cadres as described in G.O.No-4907/VIII/650(4)/75 dated-February 09, 1976 will constitute the Confidential Assistant Cadre under these rules.

Part- 4 Eligibility

Nationality

- 9- Candidate for direct recruitment must be:-
- (a) a Citizen of India; or
- (b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India; or
- (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan ,Burma (Myanmar), Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya , Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) and (c) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the State Government of Uttar Pradesh;

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General Of Police Intelligence branch of Uttar Pradesh.

Provided also that if a candidate belongs to category (c) no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE:- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to an examination or interview but on being selected such candidates shall be given appointment only when required certificates are presented before appointing authority.

Educational Qualifications for direct recruitment

10- (1) Assistant Sub-Inspector of Police (Ministerial)

- (a) Bachelor's degree from a University established by law in India or equivalent qualification recognized by Government.
- (b) Hindi typing with speed of at least 25 words per minute and english typing with speed of at least 30 words per minute (Unicode based using In script keyboard or as prescribed by the Head of the Department)
- (c) Must have Must have passed "O" level examination in Computers from the National Institute of Electronic & Information Technology (NIELIT Society), (erstwhile DOEACC Society) of the Government of India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto.

(2) <u>Assistant Sub-Inspector of Police (Accounts)</u>

- a) Bachelor's degree in Commerce or post graduate diploma in Accountancy from a University established by law in India or equivalent qualification recognized by Government.
- b) Hindi typing (Unicode based using In script keyboard or as prescribed by the Head of the Department) with speed of at least 15 words per minute.
- c) Must have passed "O" level examination in Computers from the National

Institute of Electronic & Information Technology (NIELIT Society), (erstwhile DOEACC Society) of the Government of India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto.

(3) Sub-Inspector of Police (Confidential)

- a) Bachelor's degree from a University established by law in India or equivalent qualification recognized by Government.
- b) Hindi typing with speed of at least 25 words per minute and English typing with speed of at least 30 words per minute (Unicode based using In script keyboard or as prescribed by the Head of the Department)
- c) Hindi Shorthand dictation speed of minimum 80 words per minute. Candidates will be declared successful on the correctness determined by the Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board.
- d) Must have passed "O" level examination in Computers from the National Institute of Electronic & Information Technology (NIELIT Society), (erstwhile DOEACC Society) of the Government of India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto.

(*** `Amended by notification no. 01/2020/634(1)/6-pu-1-20-650(59)-2002 TC-VI, dated: 15.04.2020)

Preferential Qualifications

- 11. Other things being equal, a candidate shall be given preference who has-
 - 1. higher certification from the DOEACC/NIELIT Society or Bachelors degree in Computer Application/Technology or higher recognized by the Government;
 - 2. graduation in Law from any institute or college or University recognised by University Grant Commission;
 - 3. has served in the Territorial Army for at least two years;
 - 4. possesses "B" Certificate of the National Cadet Corps.

(* Amended by notification no. 17/2016/2791/6-pu-01-16-650(59)-2002 TC, dated: 19.10.2016)

Age

12. For direct recruitment to all posts, a candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 28 years on the first day of July of Calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories would be so much more as may be specified from time to time by state Govt.

Character

13. The character of a candidate for direct recruitment to the any post should be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy himself on this point.

NOTE: Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a

local authority or by a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or State Government shall not be eligible for appointment to any post of the service. Candidates convicted for any crime related to moral turpitude shall not be eligible for appointment.

Marital Status

14. No person-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to Service:

Provided that the State Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other ground for so doing, exempt any person form the operation of this rule.

(** Amended by notification no. 10/2018/2783/6-pu-1-18-650(59)-2002 TC-VI, dated: 02.07.2018)

Physical fitness

15. No candidates shall be eligible for appointment to any post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to pass an examination by Medical Board.

Note: The Medical board shall also examine the deficiencies such as knock knee, bow legs, flat feet, varicose veins, color blindness (partial and total), vision deficiencies, hearing deficiencies etc.

PART V. PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies

- 16. The appointing authority shall determine and intimate to the Head of the Department the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies reserved for candidates belonging Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The Head of the Department shall intimate the number of vacancies to the Board and also to the Government. Subsequently the Board shall notify the vacancies in the following manner:-
- (i) By issuing advertisement in daily Hindi and English newspapers having wide circulation;
- (ii) By pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/Television and other Employment newspapers;

- (iii) By notifying vacancies to the Employment Exchange; and
- (iv) By other means of mass communication.

(** Amended by notification no. 10/2018/2783/6-pu-1-18-650(59)-2002 TC-VI, dated: 02.07.2018)

Procedure for Direct recruitment

17. (A) Application Form and Call Letter:-

A candidate shall fill only one application Form. The Board will accept only online applications. The Head of the Department, in consultation with the Board, shall fix an application fee for a recruitment. Detailed procedure for filling the Application Form and issuance of call letter shall be determined by the Board and shall be displayed on its website or be published in the notification.

The Government may change the number of vacancies for any recruitment at any time before the first examination and may also cancel any recruitment at any time or stage of recruitment without assigning any reason therefor.

(B) Written Examination-

Candidates whose applications are found correct, shall be required to appear for written test of 400 marks. In this written examination, the Board will keep one objective type question paper of four following subjects:-

Subject	Maximum Marks
1. General Hindi / Computer Knowledge	100 marks
	(objective type)
2. General Awareness / Current Affairs	100 marks
	(objective type)
3. Numerical and Mental Ability Test	100 marks
	(objective type)
4. Mental Aptitude Test / I.Q Test /	100 marks
Reasoning	(objective type)

Candidates failing to obtain 35% marks in each subject and 40% marks in aggregate in the written examination shall not be eligible for recruitment. The detailed syllabus for the examination will be decided by Board and will be displayed on its website. The Board will decide at it own level to conduct written examination on one date in a single shift or in more than one shift or more than one date in different shifts with different question paper through pen and paper based written examination (OMR system) or through computer based examination system.

NOTE:-

- (1) Detailed procedure for written examination shall be determined by the Board and will be displayed on its website.
- (2) If the Board decides to conduct the written examination in more than one shift or on more than one date in different shift with different question paper, then the Board may, if necessary, decide the process of normalization of marks obtained by the candidates appearing in such examination at its level and be displayed on its website.

(*** `Amended by notification no. 01/2020/634(1)/6-pu-1-20-650(59)-2002 TC-VI, dated: 15.04.2020)

(C) Scrutiny of Documents and Physical Standard Test-

Candidates found successful in written examination underclause (B) shall be required to appear in Scrutiny of Documents and Physical Standard Test. Keeping in view the total number of vacancies, the Board shall decide at its own level, the number of candidates on the basis of merit to be called for this test. Physical Standards for candidates are as follows:-

1. Minimum Physical Standards for male candidates are as follows:-

(a) Height:-

- (i) for General/Other Backward classes and Scheduled Castes male candidates minimum height should be 163 centimetres.
- (ii) for Scheduled Tribes male candidates minimum height should be 156 centimetres.

(b) Chest:-

For the candidates belonging to General/ Other Backward classes and Scheduled Castes minimum chest measurement should be 77 centimetres without expansion and at least 82 centimetres with expansion; and for the candidates belonging to the Scheduled Tribes 75 centimetres without expansion and not less than 80 centimetres on expansion.

Note:- Minimum 5 centimetre chest expansion is essential.

2. Minimum Physical Standards for female candidates are as follows:-

(a) Height:-

- (i) for General/Other Backward classes and Scheduled Castes female candidates minimum height should be 150 centimetres.
- (ii) for Scheduled Tribes female candidates minimum height should be 145 centimetres.

(b) Weight:-

Minimum 40 Kg. for female candidates.

For conducting this examination a committee will be constituted by the Board

in which a Deputy Collector nominated by the District Magistrate will be the Chairman and the Deputy Suprintendent of Police nominated by the District Suprintendent of Police will be the member. the other members of the committee shall be nominated by the District Magistrate or the Suprintendent of Police if requested by the board.

Detailed procedure for this examination shall be determined by the Board and will be displayed on its website or shall be published in the notification.

If any candidate is not satisfied with his Physical Standard Test, he may file an objection on the same day after the test. For clearing all such objection; the Board shall nominate one Additional Superintendent of Police at every place and Physical Standard Test of all such candidates will be conducted again by the committee in the presence of the said nominated Additional Superintendent of Police. All those candidates who are again found unsuccessful in the Physical Standard Test, will be declared unfit for recruitment and no further appeal will be entertained in this regard.

(D) Computer Typing and Stenography Examination

Candidates found successful in Scrutiny of Documents and Medical Examination as per part (C) shall be required to appear in the computer typing test of qualifying nature. The qualifying typing speed shall be as per the post which has been applied for by the candidate. Only those candidates who have applied for the post of Sub Inspector of Police (Confidential) and qualify the required typing test as above, shall have to appear in stenography test which shall be of qualifying nature. The procedure for the examination shall be decided by the Board and will be displayed on its website or shall be published in the notification.

(E) Selection and Final Merit List

From amongst candidates who have qualified in computer typing and from amongst those candidates who have applied for the post of Sub Inspector of Police (Confidential) and have qualified the stenography test also, the Board shall prepare a select list of candidates of each post separately as per vacancies, on the basis of aggregate marks obtained by them in Written examination, keeping in view the reservation policy, and send it with recommendation to the Head of the Department, subject to Medical test/character verification. No waiting list shall be prepared by the Board. List of all such candidates with marks obtained by each candidate shall be uploaded on its website by the Board. The Head of the Department shall after his approval forward the list sent by the Board to the Appointing Authority for further action.

Note:- If two or more than two candidates obtain equal marks then their seniority shall be decided by the procedure laid down in the following order:-

- (1) If two or more candidates obtain equal marks then such candidate will be given preference who possesses preferential qualification, if any (in the same order as stated in rule 11). Candidate having more than one preferential qualification shall get the benefit of only one preferential qualification.
- (2) Even then if two or more candidates have equal marks then candidate older in

age shall be given preference.

(3) If despite the aforementioned more than one candidates are equal, then preference to such candidate shall be determined according to the order in English Alphabets of their names mentioned in High School Certificate.

(F) Medical Test-

The candidates whose names are in the select list as per clause (e), will be required to appear for Medical Examination by the Appointing authority. For conducting the medical examination, the Chief Medical Officer of the concerned district shall constitute a Medical Board, which will have 03 doctors, who will conduct Medical Examination as per "Police Recruitment Medical Examination Forms" as prescribed and codified by the Head of Department in consultation with the Director General of Medical Health. Any candidate not satisfied by his Medical Examination, may file an appeal on the day of examination itself. Any appeal with regard to Medical Examination will not be considered if the candidate fails to file the appeal on the date of Medical Examination and declaration of its result itself. The Medical Board constituted for appeal shall have expert regarding Medical deficiency of the applicant. The detailed instructions for conducting Medical examination will be issued by the Director General of Police. The candidates found unsuccessful in Medical Examination shall be declared unfit by the Appointing authority and such vacancies shall be carried forward for next selection.

(G) Character Verification

Character Verification shall be completed under the supervision of appointing authority before issuing of appointment letter and before sending the candidates for training. On adverse fact coming to light during character verification of any candidate, he shall be declared unfit by the appointing authority and such vacancy shall be carried forward for next selection

(* Amended by notification no. 17/2016/2791/6-pu-01-16-650(59)-2002 TC, dated: 19.10.2016)

Procedure for recruitment by promotion

- **18.** (1) Assistant Sub Inspector (Ministerial) to Sub Inspector (Ministerial): Hundred percent posts of the total number of sanctioned posts of Sub inspector of police (ministerial) shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst the substantively appointed Assistant Sub Inspector (Ministerial) who have completed seven years of service as such on the first day of the year of recruitment including the probation period.
- (2) Sub Inspector (Ministerial) to Inspector (Ministerial): Hundred percent posts of the total number of sanctioned posts of Inspector of police (ministerial) shall be filled by recruitment through promotion by the board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst the substantively appointed Sub Inspector (Ministerial) who have completed three years of service as such on the first day of the year of recruitment including the probation period.
- (3) Assistant Sub Inspector (Accounts) to Sub Inspector (Accounts): Hundred

percent posts of the total number of sanctioned posts of Sub inspector of police (Accounts) shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst the substantively appointed Assistant Sub Inspector (Accounts) who have completed seven years of service as such on the first day of the year of recruitment including the probation period.

- (4) Sub Inspector (Accounts) to Inspector (Accounts): Hundred percent posts of the total number of sanctioned posts of Inspector of police (Accounts) shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst the substantively appointed Sub Inspector (Accounts) who have completed three years of service as such on the first day of the year of recruitment including the probation period.
- (5) Sub Inspector (Confidential) to Inspector (Confidential): Hundred percent posts of the total number of sanctioned posts of Inspector of police (Confidential) shall be filled by recruitment through promotion by the board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst the substantively appointed Sub Inspector (Confidential) who have completed seven years of service as such on the first day of the year of recruitment including the probation period.
- (6) (a) The selection committee for the posts of Sub Inspector (Ministerial), Sub Inspector (Accounts), Inspector (Ministerial), Inspector (Accounts) and Inspector (Confidential) shall be constituted by the Board.
- (b) The Chairman of the Selection Committee shall be nominated by the Board and shall not be below the rank of appointing authority for the promotional post for which the Selection Committee has been constituted. One member of appropriate rank will be nominated by Head of Department and remaining members of the Committee shall be nominated by the Board as per the Government order existing at that time.
- (c) Selection Committee shall submit the result of successful candidates, along with its recommendations to the Board .The Board shall submit the list of selected candidates, along with its recommendations to the Head of Department. The list shall not exceed the notified vacancies.
- (d) The Head of Department after approving the list shall send it to the appointing authority who shall issue the final orders for promotion.
- (e) The final list of candidates selected for promotion, as approved by the Head of Department shall be displayed on the website of the Board and the Uttar Pradesh Police.

PART VI - APPOINTMENT, PROBATION, TRAINING, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

19. (1) The candidates in the merit list forwarded by the Board shall be appointed in order in which their names appear in the list subject to their character being

found satisfactory. Persons recommended for appointment through promotion under rule 18 by the Board shall be promoted in the order of their seniority in the feeder cadre at present rank: Provided that a person promoted in previous selection shall be senior to person selected in subsequent selection. Provided further that any person appointed before the commencement of these rules to a post described in G.O. No. 7252/VIII-A-04/66 dated 06 September 1966 in the five cadres described in G.O. No. 4907/VIII/650(4)/75 dated 09 February 1976 or in three cadres described in G.O. No. 1447/6-Pu-1-14-650(59)/02 TC dated 10 October 2014 and working on that post on the date of commencement of these rules shall be deemed to have appointed substantively under these rules and such substantive appointment shall be deemed to have been made under these rules. **Probation** 20. (1) Regarding matters of probation, a member of service substantively appointed on a post under these rules, shall be governed by the provisions of The Uttar Pradesh Government Servant Probation Rules, 2013, as amended from time to time. (2) If it appears to appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with. (3) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under subrule (2) shall not be entitled to any compensation. (4) The appointing authority may allow continuous service, rendered in officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken into account for the purpose of computing the period of probation. (* Amended by notification no. 17/2016/2791/6-pu-01-16-650(59)-2002 TC, dated: 19.10.2016) 21. (1) A person directly appointed or promoted to any of the posts mentioned in **Training** the cadre shall be required to successfully undergo such training in such institutions and in such manner as may be determined by the Head of Department. (2) The Head of Department may determine such promotional or in – service training courses to be undergone by the members of these services. Confirmat Subject to the provisions of sub-rule (1) and (2) of rule 20 a person appointed under rule-17 shall be confirmed in his appointment at the end of the -ion

period of probation or the extended period of probation if:-(a) he has successfully undergone the prescribed training; and (b) his work and conduct is reported to be satisfactory; and (c) his integrity is certified. (2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of the said rules declaring that the person has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation. Seniority 23. The seniority of persons substantively appointed to a post in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991 as amended from time to time with the restriction that the person appointed on the result of a previous selection shall be senior to the person appointed on the result of subsequent selection. PART-VII-PAY ETC. Scales 24. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various of Pay ranks shall be such as may be determined by the Government from time to time. (2) The pay scales admissible to various ranks at the commencement of these rules are as follows:-Grade Rank Pay Band Pav Ministerial Cadre 9300-34800 1- Inspector of Police (Ministerial) 4600 9300-34800 2- Sub Inspector of Police (Ministerial) 4200 5200-20200 3-Assistant Sub Inspector of Police (Ministerial) 2800 (b) Accounts Cadre

9300-34800

9300-34800

4600

4200

1. Inspector of Police (Accounts)-

2. Sub Inspector of Police (Accounts)-

	3. Assistant Sub Inspector of Police	5200-20200	2800	
	(Accounts)-			
	(c) Confidential Assistant Cadre			
	 Inspector of Police (Confidential)- Sub Inspector of Police (Confidential)- 	9300-34800 9300-34800	4600 4200	
Pay during Probation	 25. (1) Not withstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training where prescribed and second increment after two years of service when he has completed the probationary period and is also confirmed: Provided that if the period of probation is extended on account of the candidate failing to satisfy the appointing authority, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise. (2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant fundamental rules: Provided that if period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise. (3) The pay during probation of a person already in permanent Government Service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State. 			all of leg
Regulation of other matters	26. In regard to the matters not specifically covered by these Rules persons appointed to the services shall be subject to the various rules, regulations and orders made under the Police Act.			
Relaxation from the conditions of service	27. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule, regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the cases in just and equitable manner.			ee g h h
Savings	28. Nothing in these rules shall affect res	ervations and other	r concession	ıs

required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the law for the time being in force and the orders of the Government issued from time to time in this regard.

APPENDIX

Procedure of Departmental Examination for Class IV Employees [See Rule-6(1)(A)(2)]

- 1. All the eligible Group-'D' employees (Rule-6 read with Rule 10) shall be required to undergo Typing Test which shall be of qualifying nature.
- 2. All the candidates who are successful in the Typing Test shall be required to undergo a written examination of 100 marks. The candidates shall be required to obtain 35% marks in order to qualify the written test. The syllabus of the written Test will be decided by the Board in consultation with the Head of Department and notified along with the notification of vacancies. The merit list shall be prepared on the aggregate marks obtained in thewritten examination. If the two or more candidates secure equal marks, preference will be given to the candidates who are senior in the service, older in age and then in the order of the first letter of the English Alphabet of the first name as mentioned in High School certificate.
- 3. The Board shall prepare a select list of candidates as per the merit keeping in view the total number of vacancies notified by the Board. The Boardshall submit the list of selected candidates, along with its recommendation to the Head of Department.
- 4. Head of Department will approve the list and send it to appointing authority who shall issue the final orders for promotion.
- 5. The final list of candidates selected for promotion, as approved by the Head of Department shall be displayed on the website of the Board and the Uttar Pradesh Police.

(*Amended by notification no. 17/2016/2791/6-pu-01-16-650(59)-2002 TC, dated: 19.10.2016)

Debashish Panda

Pramukh Sachiv Grih

Note:-

- (1) * Amended by notification no. 17/2016/2791/6-pu-01-16-650(59)-2002 TC, dated: 19.10.2016 (Uttar Pradesh Police Ministerial, Accounts and Confidential Assistants Cadres Service (First Ammendment) Rules, 2016)
- (2) ** Amended by notification no. 10/2018/2783/6-pu-1-18-650(59)-2002 TC-VI, dated: 02.07.2018 (Uttar Pradesh Police Ministerial, Accounts and Confidential Assistants Cadres Service (Second Ammendment) Rules, 2016)
- (3) *** `Amended by notification no. 01/2020/634(1)/6-pu-1-20-650(59)-2002 TC-VI, dated: 15.04.2020 (Uttar Pradesh Police Ministerial, Accounts and Confidential Assistants Cadres Service (Third Ammendment) Rules, 2020)